

पशुओं की रक्षा  
के लिए  
कानूनों का उपयोग

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

## प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

AWO (एडब्ल्यूओ)	एनिमल वेलफेयर ऑफिसर	पशु कल्याण अधिकारी
AWBI (एडब्ल्यूबीआई)	एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
BIS (बीआईएस)	ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड्स	भारतीय मानक ब्यूरो
CCS (सीसीएस)	सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज	केन्द्रीय सिविल सेवा
CCS (सीसीएस) (Conduct) Rules, 1964	सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (कन्डक्ट) रूल्स, 1964	केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964
CITES (साइटीस)	यूनाइटेड नेशनस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीशिस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा	यूनाइटेड नेशनस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीशिस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा
Cr.PC (सीआर.पी.सी.)	क्रिमिनल प्रोसीजर कोड	अपराधिक प्रक्रियाविधि संहिता
CWO (सीडब्ल्यूओ)	चीफ वाइल्डलाइफ ऑफिसर	मुख्य वन्यजीव अधिकारी
DCA (डीसीए)	ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940	औ-धि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
FDA (एफडीए)	फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन	फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
HWW (एचडब्ल्यूडब्ल्यू)	ऑनरेरी वाइल्डलाइफ वार्डन	अवैतनिक वन्यजीव वार्डन
IPC (आईपीसी)	इंडियन पीनल कोड, 1860	भारतीय दंड संहिता
ISI (आईएसआई)	इंडियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट	भारतीय मानक संस्थान
The Experiments On Animals(Control And Supervision), Rules, 1968	द एक्सपैरिमेंट्स ऑन एनिमल (कंट्रोल एंड सुपरविजन), 1968	पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण) नियमावली, 1968

The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960	द प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, 1960	पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960
The Prohibition of Birds & Animal Sacrifices Act	द प्रोहीभिशन ऑफ बर्डस एंड एनिमल सैक्रिफाइस एक्ट	पक्षी एवं पशु बलि निषेध अधिनियम
The Prevention of Food Adulteration Act, 1954	द प्रीवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट, 1954	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
The Performing Animal Rules, 1973	द परफार्मिंग एनिमल रूल्स, 1973	करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973
The Performing Animals (Registration) Rules, 2001	द परफार्मिंग एनिमल (रजिस्ट्रेशन) रूल्स, 1973	करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001
The Prevention of Cruelty to Draught And Pack Animals Rules, 1965	द प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएलिटी टू ड्रॉट एंड पैक एनिमल रूल्स, 1965	भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियमावली, 1965
The Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001	द प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल (स्लाटर हाऊस), 2001	पशु के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001
The Transport of Animals Rules, 1978	द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स, 1978	पशुओं का परिवहन नियम, 1978
RWA (आरडब्ल्यूए)	रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन	रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन
WPA (डब्ल्यूपीए)	वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

## विनय-सूची

क्रम संख्या	विनय	प्रश्न संख्या
1.	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	1-14
2.	करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973 और करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001	15-25
3.	भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियमावली, 1965	26-30
4.	पशुओं का परिवहन नियम, 1978	31-40
5.	पशु के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001	41-45
6.	पशु बलि पर कानून	46
7.	पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण) नियमावली, 1968	47-48
8.	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972	49-54

## पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

**प्रश्न 1. पशुओं पर क्रूरता में क्या शामिल है ?**

**उत्तर 1 :** पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(1) पशु के साथ क्रूर व्यवहार होने वाले कृत्यों को निम्नानुसार निर्धारित करती है -

(ए) किसी पशु को पीटना, लात मारना, अधिक मनु-यों का उस पर बैठना, उसे अधिक चलाना, उस पर अधिक बोझा लादना, यातना देना, अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा पहुंचाना;

(बी) किसी पशु को ऐसे कार्य के लिए नियोजित करना जो उसकी आयु अथवा किसी रोग के कारण उस प्रकार नियोजित किए जाने के लिए अकुशल है और फिर भी उससे कार्य अथवा श्रम अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है;

(सी) जानबूझकर अथवा बिना किसी तर्कसंगत कारण के किसी पशु को कोई हानिकारक दवा अथवा हानिकारक पदार्थ देना;

(डी) किसी पशु को किसी वाहन में लादना अथवा ले जाना जो उसे अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा में परिणत होता हो;

(ई) किसी पशु को ऐसे किसी पिंजड़े अथवा बाड़े में रखना जो उसकी ऊंचाई, लम्बाई तथा चौड़ाई में इतना पर्याप्त न हो कि उस पशु को अपनी गतिविधि करने का उचित अवसर दे;

(एफ) किसी पशु को तर्कसंगत न होने वाले समय के लिए जंजीर से बांधे रखना अथवा तर्कसंगत न होने वाली भारी जंजीर या रस्सी से बांधना;

(जी) स्वामी होने के कारण किसी कुत्ते को आदतन जंजीर से बांधे रखना अथवा किसी बंद स्थान में रखने की क्रिया जिससे उसे आजादी से चलना-फिरना न मिलें;

(एच) किसी पशु का स्वामी होने के चलते उस पशु को पर्याप्त भोजन, पानी अथवा आश्रय मुहैया करवाने में असफल होना;

(आई) बिना किसी कारण के किसी पशु को ऐसी परिस्थितियों में त्याग देना जहाँ उसके भूख अथवा प्यास के कारण डर से तड़पने की सम्भावना हो;

(जे) कोई पशु जिसका कोई व्यक्ति स्वामी है, उस पशु के किसी संक्रामक अथवा फैलने वाले रोग से ग्रसित होने पर उसे खुलेआम गली में घूमने देना अथवा अपने स्वामित्व वाले किसी बीमार या निशक्त पशु की किसी गली में मृत्यु होने देना;

(के) अपने स्वामित्व वाला कोई पशु जो विकृत किए जाने, भूख, प्यास, अधिक भीड़भाड़ अथवा अन्य दुर्व्यवहार के कारण दर्द से ग्रसित हो उसे बिना किसी तर्कसंगत कारण के बेचने की पेशकश किया जाना;

(एल) हृदय में स्ट्रीचिनाइन इंजेक्शन की पद्धति अथवा अन्य किसी अनावश्यक क्रूर तरीके का उपयोग करते हुए किसी पशु को विकृत किया जाना अथवा किसी पशु की हत्या किया जाना (बेसहारा कुत्तों सहित);

(एम) केवल मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य मात्र से ही निम्नलिखित को करना -

(1) किसी पशु को बंदी बनाना अथवा बन्दी बनाने में सहयोग करना (किसी बाघ अथवा अन्य अभ्याहरण्य में किसी पशु को ललचाने के लिए शिकार के रूप में बांधने सहित) ताकि वह किसी अन्य पशु हेतु भक्षण की वस्तु बन सके;

(2) किसी पशु को लड़ने के लिए अथवा किसी अन्य को ललचाने के लिए उकसाना ।

(एन) पशुओं की लड़ाई अथवा किसी पशु का ललचाने के लिए उपयोग हेतु किसी स्थल में व्यवस्था करना, रख-रखाव करना, उसका उपयोग करना अथवा उसमें कार्य करना या किसी स्थान का उपयोग किए जाने की अनुमति देना या ऐसे स्थान की पेशकश करना अथवा ऐसे प्रयोजनों हेतु रखे अथवा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान में अन्य व्यक्तियों के प्रवेश से पैसा प्राप्त करना;

(ओ) किसी ऐसी निशानेबाजी प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा में भाग लेना जहाँ पशुओं को निशाना लगाने के प्रयोजन हेतु छोड़ा जाता है ।

**प्रश्न 2. क्या पशुओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाना एक दण्डनीय अपराध है ?**

**उत्तर 2 :** जी, हाँ । यदि किसी पशु के साथ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(ए) से (ओ) तक में दिए गए किसी तरीके से व्यवहार किया जाता है तो दो-नी (पहला अपराध होने के मामले में) को जुर्माना अदा करना होगा जो 50 रुपए तक हो सकता है और पिछले अपराध के तीन वर्षों के भीतर किए गए दूसरे तथा उसके बाद वाले अपराधों में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जोकि 25 रुपए से कम नहीं होगा और जिसे 100 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा किसी एक अवधि हेतु कारावास जोकि 3 माह तक की हो सकती है या दोनों का दण्ड दिया जाएगा । दूसरे अपराध के मामले में अपराधी का वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा और उसे फिर दुबारा किसी पशु को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

**प्रश्न 3. संज्ञेय तथा गैर-संज्ञेय अपराध क्या हैं ?**

**उत्तर 3 :** (क) अपराधिक प्रक्रियाविधि संहिता, 1973 की धारा 2(सी) संज्ञेय अपराधों को उन अपराधों के रूप में परिभाषित करती है जहां कोई पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है । सभी संज्ञेय अपराधों में अपराधिक कृत्य

शामिल होते हैं । हत्या, डकैती, चोरी, दंगा करना, जालसाजी करना आदि संज्ञेय अपराधों के कुछ उदाहरण हैं ।

(ख) अपराधिक प्रक्रियाविधि संहिता, 1973 की धारा 2(आई) गैर-संज्ञेय अपराधों को उन अपराधों के रूप में परिभाषित करती है जहां कोई पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है । सभी संज्ञेय में अपराधिक कृत्य शामिल होते हैं । यदि किसी आरोपी ने गैर-संज्ञेय अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को किसी मजिस्ट्रेट से वारंट की आवश्यकता होती है । ये तुलनात्मक रूप से कम गंभीर अपराध होते हैं । जनता में उपद्रव करना, मामूली चोट पहुंचाना, आघात, शैतानी आदि गैर-संज्ञेय अपराधों के कुछ उदाहरण हैं ।

**प्रश्न 4. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अंतर्गत आम अपराध क्या हैं और उनमें से कौन से गैर-संज्ञेय हैं ?**

**उत्तर 4 :** पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अंतर्गत आम अपराधों का एक वर्गीकरण निम्नलिखित है -

अपराध की प्रकृति	उल्लंघन की गई धारा	संज्ञेय अथवा गैर-संज्ञेय
किसी पशु को पीटना, लात मारना, अधिक मनु-यों का उस पर बैठना, उसे अधिक चलाना, उस पर अधिक बोझा लादना, यातना देना, अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा पहुंचाना;	धारा 11(1)(ए)	गैर-संज्ञेय
किसी पशु को ऐसे कार्य के लिए नियोजित करना जो उसकी आयु अथवा किसी रोग के कारण उस प्रकार नियोजित किए जाने के लिए अकुशल है और फिर भी उससे कार्य अथवा श्रम अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है;	धारा 11(1)(बी)	गैर-संज्ञेय

जानबूझकर अथवा बिना किसी तर्कसंगत कारण के किसी पशु को कोई हानिकारक दवा अथवा हानिकारक पदार्थ देना;	धारा 11(1)(सी)	गैर-संज्ञेय
किसी पशु को किसी वाहन में लादना अथवा ले जाना जो उसे अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा में परिणत होता हो;	धारा 11(1)(डी)	गैर-संज्ञेय
किसी पशु को ऐसे किसी पिंजड़े अथवा बाड़े में रखना जो उसकी ऊंचाई, लम्बाई तथा चौड़ाई में इतना पर्याप्त न हो कि उस पशु को अपनी गतिविधि करने का उचित अवसर दे;	धारा 11(1)(ई)	गैर-संज्ञेय
किसी पशु को तर्कसंगत न होने वाले समय के लिए जंजीर से बांधे रखना अथवा तर्कसंगत न होने वाली भारी जंजीर या रस्सी से बांधना	धारा 11(1)(एफ)	गैर-संज्ञेय
स्वामी होने के कारण किसी कुत्ते को आदतन जंजीर से बांधे रखना अथवा किसी बंद स्थान में रखने की क्रिया जिससे उसे आजादी से चलना-फिरना न मिलें;	धारा 11(1)(जी)	गैर-संज्ञेय
किसी पशु का स्वामी होने के चलते उस पशु को पर्याप्त भोजन, पानी अथवा आश्रय मुहैया करवाने में असफल होना;	धारा 11(1)(एच)	गैर-संज्ञेय
बिना किसी कारण के किसी पशु को ऐसी परिस्थितियों में त्याग देना जहाँ उसके भूख अथवा प्यास के कारण डर से तड़पने की सम्भावना हो;	धारा 11(1)(आई)	गैर-संज्ञेय



<p>कोई पशु जिसका कोई व्यक्ति स्वामी है, उस पशु के किसी संक्रामक अथवा फैलने वाले रोग से ग्रसित होने पर उसे खुलेआम गली में घूमने देना अथवा अपने स्वामित्व वाले किसी बीमार या निशक्त पशु की किसी गली में मृत्यु होने देना;</p>	<p>धारा 11(1)(जे)</p>	<p>गैर-संज्ञेय</p>
<p>अपने स्वामित्व वाला कोई पशु जो विकृत किए जाने, भूख, प्यास, अधिक भीड़भाड़ अथवा अन्य दुर्व्यवहार के कारण दर्द से ग्रसित हो उसे बिना किसी तर्कसंगत कारण के बेचने की पेशकश किया जाना;</p>	<p>धारा 11(1)(के)</p>	<p>गैर-संज्ञेय</p>
<p>हृदय में स्ट्रीचिनाइन इंजेक्शन की पद्धति अथवा अन्य किसी अनावश्यक क्रूर तरीके का उपयोग करते हुए किसी पशु को विकृत किया जाना अथवा किसी पशु की हत्या किया जाना (बेसहारा कुत्तों सहित);</p>	<p>धारा 11(1)(एल)</p>	<p>संज्ञेय</p>
<p>केवल मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य मात्र से ही निम्नलिखित को करना -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी पशु को बंदी बनाना अथवा बन्दी बनाने में सहयोग करना (किसी बाघ अथवा अन्य अभ्याहरण्य में किसी पशु को ललचाने के लिए शिकार के रूप में बांधने सहित) ताकि वह किसी अन्य पशु हेतु भक्षण की वस्तु बन सके;</li> <li>2. किसी पशु को लड़ने के लिए अथवा किसी अन्य को ललचाने के लिए उकसाना ।</li> </ol>	<p>धारा 11(1)(एम)</p>	<p>गैर-संज्ञेय</p>

पशुओं की लड़ाई अथवा किसी पशु का ललचाने के लिए उपयोग हेतु किसी स्थल में व्यवस्था करना, रख-रखाव करना, उसका उपयोग करना अथवा उसमें कार्य करना या किसी स्थान का उपयोग किए जाने की अनुमति देना या ऐसे स्थान की पेशकश करना अथवा ऐसे प्रयोजनों हेतु रखे अथवा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान में अन्य व्यक्तियों के प्रवेश से पैसा प्राप्त करना;	धारा 11(1)(एन)	संज्ञेय
किसी ऐसी निशानेबाजी प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा में भाग लेना जहाँ पशुओं को निशाना लगाने के प्रयोजन हेतु छोड़ा जाता है ।	धारा 11(1)(ओ)	संज्ञेय
किसी गाय अथवा अन्य दुधारू पशु पर फूका या कोई अन्य कृत्य करना जिसमें डेरियों द्वारा अपने दुधारू पशुओं को दूध देने के लिए बाध्य करने हेतु ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाना शामिल है जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ।	धारा 12	संज्ञेय

**प्रश्न 5.** क्या कोई भी व्यक्ति पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को 'गिरफ्तार करके' उसे पुलिस स्टेशन ले जा सकता है ?

**उत्तर 5 :** जी, हाँ । कोई भी व्यक्ति पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करने वाले किसी दो-नी को गिरफ्तार कर सकता है । अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा प्रत्येक व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जिसने कोई गैर-जमानती तथा संज्ञेय अपराध किया हो, को गिरफ्तार करने अथवा करवाने की शक्ति प्रदान करती है । इसके लिए केवल एक ही पूर्व शर्त है कि ऐसा अपराध गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया होना चाहिए । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास

निम्नलिखित शर्तों के अधीन गिरफ्तार करने की शक्ति है - पहला, अपराध एक गैर-जमानती तथा संज्ञेय अपराध होना चाहिए जैसेकि हत्या, डकैती, चोरी, दंगा करना, जालसाजी करना आदि; दूसरा, अपराध उसकी उपस्थिति में किया गया होना चाहिए और अन्त में, इस प्रकार गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के किसी पुलिस अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए अथवा किसी पुलिस अधिकारी के अभाव में उस व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने में ले जाया जाना चाहिए । पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार पुनः गिरफ्तार करना चाहिए ।

**प्रश्न 6. पशु पर क्रूरता को किए जाते समय किसी पुलिस वाले द्वारा उपयोग की जा सकने वाली शक्तियां क्या हैं ?**

**उत्तर 6:** पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 34 कांस्टेबल के ऊपर के किसी भी पुलिस अधिकारी को पूछताछ हेतु पकड़ने की आम शक्ति मुहैया करवाती है । यदि पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है अथवा किसी पशु के साथ कोई अपराध किया जा रहा है तो वह उस पशु को जब्त करके उसे जाँच हेतु निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । चाहे यह पशुओं पर अधिक बोझा लादे जाने अथवा किसी पशु की पिटाई का मामला हो अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत मुहैया करवाया गया कोई अन्य अपराध हो, पुलिस के पास पशु को जब्त करने और उसके उपचार तथा देखभाल के लिए किसी अन्य अस्पताल में भेजे जाने की शक्ति प्राप्त है । यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 35 के अंतर्गत मुहैया करवाई गई है । अस्पताल में भेजे गए पशुओं का उपचार तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट के अन्यथा आदेश नहीं आ जाते और वे छोड़ने लायक ठीक हो जाते हैं । अस्पताल में उपचार के लिए भेजे गए पशुओं को तब तक नहीं छोड़ा जा सकता है जब तक कि पशु चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि वे छोड़े तथा ले जाए जाने के लिए ठीक है । पशु को अस्पताल लाना तथा ले जाना और वहाँ पर उसके भरण-पोषण तथा उपचार का व्यय पशु के स्वामी द्वारा अदा किया जाना होता है ।

**प्रश्न 7. यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कुत्ते या अन्य किसी पालतू पशु की जानबूझकर हत्या करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है ?**

**उत्तर 7 :** किसी पशु/पालतू पशु की हत्या करना पूर्णतः अवैध है । यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित पशुओं पर क्रूरता सिद्ध होता है । यह भारतीय दंड संहिता की धारा 428 तथा 429 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है । भारतीय दंड संहिता की धारा 428 10 रुपए अथवा उससे अधिक के मूल्य के किसी भी पशु की हत्या, जहर देने, निशक्त कर देने अथवा अनुपयोगी बना देने के अपराध से संबंधित है । ऐसे कृत्य हेतु दण्ड साधारण अथवा कठोर कारावास होता है जिसे 2 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 429 भी उन्हीं अपराधों से निपटती है परन्तु यह 50 रुपए अथवा उससे अधिक के मूल्य वाले पशुओं के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए है । इसके लिए तत्काल क्षेत्र के पुलिस थाने के पास प्राथमिकी(FIR) दर्ज करवाई जानी चाहिए । इस मामले में दण्ड किसी भी प्रकार की कैद हो सकती है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है ।

**प्रश्न 8.** किसी कुत्ते अथवा अन्य पशु की चोरी की शिकायत पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई क्या है ?

**उत्तर 8 :** भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 378 "चोरी को " किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की स्वीकृति के बिना किसी चल सम्पत्ति को बेइमानी से लेने, लेने के पश्चात उस संपत्ति को कई और ले जाने पर चोरी का अपराध किया गया मानती है । इस धारा के अंतर्गत संपत्ति में पशु भी आते हैं । यह धारा स्वयं पशुओं से संबंधित मामलों को स्प-ट करती है । कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरीके से किसी पशु को ले जाए, यह माना जाएगा कि उसने ऐसा स्वामी की सहमति के बिना किया है ।

उदाहरण के लिए A को Z का नौकर होने के कारण Z द्वारा उसे अपने कुत्ते की देखभाल का कार्य सौंपा गया है, वह उस कुत्ते को बाहर ले जाता है और बिना Z की स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो A का यह कृत्य चोरी माना जाएगा । किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई पालतू पशु अथवा कोई अन्य पशु को उस व्यक्ति की संपत्ति माना जाएगा । और स्वामी की स्वीकृति के बिना ले जाई गई कोई भी संपत्ति चोरी होती है ।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379 "चोरी " को दण्डित करती है । इस धारा के अंतर्गत चोरी हेतु दण्ड किसी भी प्रकार की एक अवधि हेतु कारावास है जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना अथवा दोनों है । इस प्रकार किसी

भी चोरी के मामले हेतु प्रक्रियाविधि समान रहेगी । जब कोई व्यक्ति किसी पशु की चोरी के सम्बन्ध में शिकायत के साथ पुलिस स्टेशन आता है तो शिकायतकर्ता को गुम हुए पशु का विस्तृत विवरण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि सम्भव हो तो उससे एक फोटोग्राफ की भी मांग की जानी चाहिए । शिकायतकर्ता के पास प्राथमिकी दर्ज करने का पूरा अधिकार है और शिकायत को पुलिस रजिस्टर में विधिवत एक प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जिसकी एक प्रति को हस्ताक्षर करके, मोहर लगाकर तथा दिनांक एवं समय डालकर शिकायतकर्ता को सौंपा जाना चाहिए । पुलिस थाने का ड्यूटी अधिकारी सभी आवश्यक प्रविटियों को करने के लिए उत्तरदायी है । चोरी के आरोप के साथ-साथ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि किसी पशु को जबरदस्ती उसके परिवेश से ले जाना क्रूरता होता है ।

**प्रश्न 9.** शिकायतकर्ता का एक कुत्ता जिसे किसी पड़ोसी द्वारा जहर देकर मार दिया गया हो, के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 428/429 के अंतर्गत किस प्रकार के साक्ष्य को दूँढा जाना चाहिए ?

**उत्तर 9 :** यदि किसी स्वामी को यह लगता है कि कोई पड़ोसी उनके कुत्ते को जहर दिए जाने के लिए जिम्मेवार है तो उस स्वामी को तत्काल निकटतम पुलिस अधिकारी से संपर्क करना चाहिए । पुलिस अधिकारी उस स्थल पर जाएगा तथा पशु की स्थिति को देखेगा । कुत्ते को मृत्यु का कारण तथा निश्चित समय निर्धारित करने के लिए पोस्ट-मार्टम हेतु किसी निजी अथवा सरकारी पशु चिकित्सक के पास ले जाया जाना चाहिए । इसी बीच पुलिस अधिकारी उपलब्ध किसी भी भौतिक साक्ष्य को एकत्र कर सकता है जोकि दो-नी तथा उसके द्वारा प्रयोग किए गए तरीके को दर्शाता हो । पुलिस अधिकारी को उन गवाहों के बयान दर्ज करने चाहिए जिन्होंने जहर दिए जाने को देखा है अथवा ऐसे गवाह जो मृतक के प्रति तथाकथित अपराधी की मनोवृत्ति अथवा पिछली क्रूरता के इतिहास के साक्षी हों । उसके पश्चात पुलिस अधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक चालान प्रस्तुत करना चाहिए ।

**प्रश्न 10.** क्या अपने क्षेत्रों में पशुओं को भोजन खिलाने वाले लोगों को आरडब्ल्यूए अथवा बिल्लिंग सोसाइटियों अथवा उनके पड़ोसियों द्वारा कानूनन रोका जा सकता है ?

**उत्तर 10 :** भारत के संविधान का अनुच्छेद 51ए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों के संबंध में बताता है । उनमें से एक जीवों के प्रति अनुकंपा है । इस प्रकार पशु प्रेमी की संविधान द्वारा रक्षा की गई है ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबधित है और इस स्वतंत्रता में पेशे, व्यवसाय, कारोबार तथा व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार आता है । इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक के पास व्यवसाय का अधिकार है और यदि कोई व्यक्ति पशुओं की देखभाल को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाता है तो यह वैध है और उसके पास अपने व्यवसाय को करने का पूरा अधिकार है ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान करता है । यह एक व्यापक अधिकार है । यदि कोई कुत्तों को भोजन तथा आश्रय मुहैया करवाना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है । उसके पास स्वतंत्रता का वही अधिकार है जो कानून भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है ।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 503 यह प्रावधान करती है कि किसी भी प्रकार की धमकी देना एक संज्ञेय अपराधिक अपराध है । कुत्तों की देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति को धमकाने अथवा डराने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अंतर्गत अपराधिक धमकी देने का दो-नी है और उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है ।

परंतु प्रत्येक कानून तथा अधिकार से ऊपर एक प्राकृतिक अधिकार है जोकि एक सार्वभौमिक अधिकार है जो नीति-शास्त्र की प्रकृति में निहित रूप से मिला होता है और जो मानव के कृत्यों अथवा विश्वास पर निर्भर करता है । यह अधिकार सरकार अथवा समाज द्वारा समग्र रूप से लागू न किए जाने पर भी मौजूद होता है । यह व्यक्ति का अधिकार है और इसे खारिज करना सरकार अथवा अंतर्रा-ट्रीय निकाय के बस से भी बाहर है । इसलिए यदि कोई भी अधिकार हो तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार अवश्य होना चाहिए क्योंकि अन्य सभी इसी पर निर्भर करते हैं । और कुत्तों को प्यार करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें भोजन तथा आश्रय देने के किसी भी विकल्प को चुनना किसी भी व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है ।

दिल्ली के एक न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में यह कहा गया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और नगर निगम प्राधिकारियों ने अपने दिशा-निर्देशों में निराश्रित पशुओं की देखभाल तथा पो-ण कर रहे व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को निर्दि-ट किया है । अदालत ने कहा है कि यह रिकार्ड में लाया जाना आवश्यक है कि निराश्रित पशुओं की देखभाल करने वाले ये व्यक्ति तथा परिवार मानवता के लिए एक महान कार्य कर रहे हैं क्योंकि वे इन पशुओं को भोजन तथा

आश्रय देकर और उन्हें टीके लगवाकर एवं उनका बन्धीकरण करवाकर भी नगर निगम प्राधिकारियों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों की सहायता के बिना कोई भी नगर निगम प्राधिकरण अपने एबीसी(एनिमल बर्थ कंट्रोल) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता है । अदालत ने यह भी कहा है कि स्थानीय पुलिस और आरडब्ल्यू को न केवल ऐसे अपनाए जाने को प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि वे ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें जो ऐसे पशुओं की देखभाल करते हैं विशेषकर आस-पड़ोस के कुत्तों की ताकि उन्हें किसी प्रकार का उत्पीड़न न सहन करना पड़े ।

अदालत ने यह भी दोहराया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार है और यह आवश्यक है कि समाज तथा समुदाय इसे माने ।

(प्रश्न 11 का उत्तर भी देखें )

**प्रश्न 11.** क्या कोई आरडब्ल्यू/सोसाइटी अथवा कोई व्यक्ति किसी कालोनी से कुत्तों को हटा सकता है अथवा हटवा है और उन्हें कहीं और फेंक सकता है ?

**उत्तर 11 :** भारत सरकार की पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2001 और नगर निगम बन्धीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी बन्धीकरण किए गए अथवा अन्य कुत्तों को उनके क्षेत्र से नहीं हटाया जा सकता है । 5 विभिन्न उच्च न्यायालय आदेशों के अनुसार बन्धीकरण किए गए कुत्ते अपने मूल क्षेत्र में ही रहें । यदि किसी कुत्ते का बन्धीकरण नहीं किया गया है तो निवासी उसका बन्धीकरण तथा टीकाकरण करवाने के लिए किसी पशु कल्याण संगठन से संपर्क कर सकते हैं । स्थान बदल देने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे समस्याएं और बढ़ेंगी जैसेकि कुत्तों द्वारा काटे जाने में वृद्धि क्योंकि नए कुत्ते निवासियों से परिचित नहीं होंगे और इसलिए नए क्षेत्र में जाने पर उनके अधिक उग्र होने की संभावना है ।

भारत सरकार ने 30.09.2006 की डायरी संख्या 1237 से एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी आरडब्ल्यू और अन्य मान्यता प्राप्त नागरिक संस्थाओं को विशेष रूप से निम्नानुसार निदेश दिए गए हैं -

- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अनुसार पशुओं को पीटना, लात मारना, अधिक व्यक्तियों द्वारा उन पर चढ़ना, अधिक भार लादना, अधिक चलाना, यातनाएं देना अथवा पशुओं के साथ अन्यथा व्यवहार करना ताकि उन्हें अनावश्यक दर्द हो, पशुओं के प्रति क्रूरता है । इस

कृत्य में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई का पात्र बनाता है ।

- सरकार/स्थानीय स्व-सरकार संगठनों में नामित एजेंसियां हैं जो निराश्रित पशुओं से व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हैं । ऐसे संगठन नियमित रूप से पशुओं का टीकाकरण, बन्धीकरण तथा अन्य कार्यक्रमों को करते हैं ।
- मान्यता प्राप्त एसोसिएशन निराश्रित पशुओं के संबंध में अपनी किसी शिकायत के समाधान हेतु ऐसे संस्थानों से संपर्क कर सकती हैं । मान्यता प्राप्त न होने वाली एसोसिएशन भी अपनी शिकायतों के लिए ऐसे निकायों से संपर्क कर सकती हैं परंतु उन्हें सामान्य रूप में निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीत नहीं होना चाहिए ।
- निराश्रित पशुओं की सभी समस्याओं को उपलब्ध संस्थागत ढांचे के भीतर ही हैंडल किया जाना चाहिए । कोई भी एसोसिएशन, मान्यता प्राप्त अथवा गैर-मान्यता प्राप्त, निराश्रित पशुओं के संबंध में स्वयं अथवा उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों जैसेकि सुरक्षा गार्डों की सहायता से कोई कार्रवाई नहीं करेगी ।
- जहाँ कोई मान्यता प्राप्त एसोसिएशन नहीं है वहाँ निवासी एडब्ल्यूओ/सीडब्ल्यूओ के कार्यालय के माध्यम से अपनी शिकायतों को उठा सकते हैं ।
- जहाँ निवासी तथा एसोसिएशन इस मामले में अपनी शिकायतों के समाधान हेतु संस्थागत एजेंसियों की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं कोई निवासी/एसोसिएशन पशुओं की देखभाल में अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता में साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी । पशुओं का पो-नण तथा देखभाल करने वालों को किसी भी प्रकार से धमकी दिया जाना एक अपराधिक अपराध है । उचित अपराधिक कानून के अंतर्गत कार्रवाई के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति स्वयं को सीसीएस आचरण नियमावली, 1964 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पात्र बनाएंगे ।

**प्रश्न 12. क्या फूका अथवा धूम देव को किया जाना क्रूरता है ?**

**उत्तर 12 :** जी हाँ, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 12 फूका अथवा धूम देव अथवा किसी गाय या अन्य दुधारू पशु पर दूध देने के काल में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले किसी अन्य कार्य को दण्डित करता है । यह पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । यह एक संज्ञेय अपराध है और दोनों को जुर्माना जोकि 1000 रुपए तक हो सकता है अथवा दो वर्न तक की कैद अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है और जिस पशु पर इसे किया जा रहा है उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा ।



यदि सब-इंसपेक्टर या उससे ऊपर के दर्जे के किसी पुलिस अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि उसके क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में किसी पशु पर फूका अथवा धारा 12 में संदर्भित प्रकृति का कोई अन्य कार्य किया गया है अथवा किया जाएगा तो वह किसी भी ऐसे स्थान पर जा सकता है जहाँ उसके मतानुसार ऐसा कोई पशु है और उस पशु को जब्त करके क्षेत्र के प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

**प्रश्न 13.** डेयरियां अपने दुधारू पशुओं को अधिक दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देती हैं । क्या यह अवैध है ?

**उत्तर 13 :** जी हाँ । दूध निकालने के लिए दुधारू पशुओं पर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शनों का प्रयोग अवैध है और यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 12 के अंतर्गत क्रूरता होता है । यह एक संज्ञेय अपराध है और दोनियों को जुर्माना जोकि 1000 रुपए तक हो सकता है अथवा दो वर्न तक की कैद अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है और जिस पशु पर इसे किया जा रहा है उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा । डेयरी वालों को ये दवा बेचने वाली दुकान के मालिक का एक फार्मासिस्ट अथवा दुकानदार के रूप में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त उस पर अपराधिक आरोप भी लगाए जाएंगे जिनमें 5 वर्न तक की कैद हो सकती है ।

भारत सरकार ने ऑक्सीटोसिन के नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया है तथा इसे एक अनुसूचित पदार्थ घोषित किया है । भोजन तथा दवा मिलावट अधिनियम के अंतर्गत पशुओं को ये इंजेक्शन देना अवैध है । ये नियम दूध वालों पर भी लागू होते हैं ।

औ-नाधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत ऑक्सीटोसिन को एक प्रिसक्रिपशन दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है । कोई भी व्यक्ति/दूध वाला इस दवा को किसी पंजीकृत मेडीकल प्रैक्टीशनर अथवा पंजीकृत पशु चिकित्सक के नुस्खे के बिना नहीं खरीद सकता है । परंतु इसके बावजूद ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन न केवल दवा कैमिस्ट के पास आसानी से तथा शीघ्र उपलब्ध होते हैं बल्कि ये डेयरियों के पास स्थित बाजारों में अनाधिकृत दुकानों पर भी उपलब्ध हैं ।

**प्रश्न 14.** कोई कैसे पता लगा सकता है कि डेयरी वाला अथवा दूध देने वाला ऑक्सीटोसिन का उपयोग कर रहा है ?

**उत्तर 14 :** यदि ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जा रहा है तो गाय के शरीर पर सुई के निशान तथा खरोंचें होंगी । दुधारू पशु अथवा डेयरी परिसर के निकट सुइयों, सिरिंज, फेंकी गई शीशियों तथा खून से सनी हुई रूई की तलाश करें ।

**करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973 और करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001**

**प्रश्न 15. 'करतब दिखाने वाले पशु' कौन हैं ?**

**उत्तर 15 :** करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973 की धारा 2(बी) के अनुसार करतब दिखाने वाले पशु का अर्थ ऐसा कोई भी पशु है जिसका उपयोग ऐसे किसी मनोरंजन के प्रयोजन हेतु किया जा रहा है जिसके लिए जनता को टिकटों की बिक्री के माध्यम से प्रवेश दिया गया है ।

करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 की धारा 2(एच) में यह निर्दिष्ट है कि इसमें फिल्म तथा अश्व संबंधी प्रतियोगिताओं में प्रयोग किए जाने वाले पशु भी शामिल हैं ।

**प्रश्न 16. क्या करतब दिखाने वाले पशुओं का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रतिबंधित है ?**

**उत्तर 16 :** जी हाँ । पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 22 करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण को प्रतिबंधित करती है जब तक कि इन पशुओं के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण में इच्छुक व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत न हों । ऐसे किसी भी स्थान पर किसी पशु का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है जहाँ केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसा किए जाने को प्रतिबंधित किया हो । निम्नलिखित पशुओं का प्रदर्शन अथवा प्रशिक्षण प्रतिबंधित है -

- (1) भालू
- (2) बंदर
- (3) बाघ
- (4) तेन्दुआ
- (5) शेर

**प्रश्न 17. करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण हेतु क्या शर्तें हैं ?**

**उत्तर 17 :** सबसे पहली तथा महत्वपूर्ण शर्त पशुओं को प्रशिक्षित तथा प्रदर्शित करने की अनुमति मांगने वाले व्यक्ति का पंजीकरण है। करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 की धारा 3 में पंजीकरण के आवेदन का प्रावधान यह कहते हुए है कि करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। पंजीकरण के बिना उसे किसी पशु को करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित करने की अनुमति नहीं है।

इसके अतिरिक्त, करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 की धारा 8 में इस पंजीकरण हेतु सामान्य शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं -

- (1) ऐसे प्रत्येक स्वामी जिसके पास 10 अथवा अधिक करतब दिखाने वाले पशु हों, उसके पास उन पशुओं की देखभाल, उपचार तथा लाने-ले जाने हेतु एक पशु चिकित्सक नियमित कर्मचारी के रूप में होना चाहिए;
- (2) पशुओं के स्वामी द्वारा ऐसे पशुओं का सड़क मार्ग से लगातार 8 घंटे से अधिक के लिए परिवहन नहीं किया जाना चाहिए;
- (3) स्वामी ऐसे परिवहन के दौरान उचित रूप से पानी तथा भोजन के लिए रोकें जाने को सुनिश्चित करेगा;
- (4) स्वामी परिवहन के पश्चात पशुओं को पो-ण तथा आराम करने का स्थल मुहैया करवाएगा;
- (5) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पशु को उसके प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन के दौरान तथा उसके पश्चात कोई अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा न पहुंचाई जाए;
- (6) स्वामी पशु को किसी कौशल को करने के लिए प्रशिक्षित करने अथवा दिखाने के लिए बाध्य करने हेतु उसे भोजन तथा पानी से वंचित नहीं करेगा;
- (7) स्वामी करतब दिखाने वाले किसी पशु को उसकी आधारभूत प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार कृत्य नि-पादित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा;
- (8) स्वामी किसी करतब दिखाने वाले पशु के बीमार अथवा चोटिल अथवा गर्भवती होने पर उससे प्रदर्शन नहीं करवाना चाहिए;

- (9) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि करतब दिखाने वाले किसी पशु के आस-पास जानबूझकर कोई एकाएक तीव्र शोर न उत्पन्न किया जाए अथवा पशु को आग के निकट न लाया जाए जिससे कि वह डर जाए;
- (10) करतब दिखाने वाले पशु द्वारा कृत्रिम रोशनी में प्रदर्शन किए जाने पर ऐसी रोशनी की समग्र गहनता 500 LUX से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (11) स्वामी पशुओं से ऐसा कोई कृत्य नहीं करवा सकता जिससे उनकी मृत्यु हो जाए अथवा वे चोटिल हो जाएं, अथवा उनका उपयोग ऐसे दृश्यों में नहीं किया जा सकता जिससे पशुओं को चोट पहुंचे;
- (12) स्वामी ऐसे पशुओं हेतु किसी गिराने वाली वस्तु जैसे तार आदि का उपयोग नहीं कर सकता जिससे वह फंस कर गिर जाएं;
- (13) स्वामी किसी पशु को आग अथवा आग दुर्घटनाओं के संपर्क में नहीं ला सकता;
- (14) स्वामी घोड़े सहित किसी पशु को विस्फोटक अथवा अन्य तेज आवाज वाले दृश्य फिल्माए जा रहे स्थान के निकट नहीं ले जा सकता;
- (15) स्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तमाशे के दौरान सहारा लेने वाले स्थान पर कील, टुकड़े, कटीली तारें अथवा ऐसे अन्य सहारे न हों जो पशु को क्षति पहुंचा सके;
- (16) स्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अश्वीय पशुओं को बिना नाल लगाए के कठोर सतह पर न चलाया जाए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना किसी स्किड एवं हॉक बूट के पहाड़ियों से नीचे की ओर फिसलने अथवा रोड़ियो स्लाइड स्टाप पर उनका उपयोग न किया जाए;
- (17) कोई भी अश्व का स्वामी चाबुक का उपयोग नहीं कर सकता;
- (18) स्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे फर्श जो काफी चिकने हों, उन पर पशुओं का उपयोग तब तक न हो जब तक कि उस पर न फिसलने वाले मैट न लगाए गए हों;
- (19) स्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशुओं के एक बड़े समूह को इस प्रकार इकट्ठा होने की अनुमति न दी जाए जो कोई भगदड़ कर सके अथवा उसमें परिणत हो सके;
- (20) स्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशुओं को अन्य पशुओं के विरुद्ध लड़वाया न जाए अथवा लड़वाने के लिए भड़काया न जाए और आगे यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पशु को कोई सीडेटिवस अथवा बेहोश करने वाली दवाएं अथवा स्टीराइड या अन्य कृत्रिम दवाएं किसी भी तरीके से उसके शरीर में न डाली जाएं;

- (21) स्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशुओं का ऐसे पिंजड़ों में परिवहन न किया जाए अथवा उन्हें बंदी बनाकर न रखा जाए जोकि पशुओं के आराम के अनुसार उचित ऊंचाई, चौड़ाई अथवा लम्बाई के न हों;
- (22) स्वामियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशुओं का किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना पर्याप्त आराम मुहैया करवाए लगातार अधिक देर के लिए उपयोग न किया जाए और सांप का उपयोग किए जाने के मामले में उसे कोई पदार्थ न खिलाए जाए अथवा तारकोल की गई या अन्य किसी गर्म सतह पर रेंगने के लिए बाध्य न किया जाए और न ही लड़ने के लिए मरोड़ा जाए;
- (23) स्वामी को किसी फिल्म की शूटिंग में पशु का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़ाई का दृश्य पोल्ट्री क्षेत्र सहित किसी पशु धन रखे गए क्षेत्र में न फिल्माया जाए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पिंजरों में कोई पक्षी न दिखाया जाए;
- (24) स्वामी पशुओं का उपयोग की जाने वाली फिल्म के स्थान, वास्तव में बनाने की तिथि तथा समय की सूचना को कम से कम 4 सप्ताह पूर्व विहित प्राधिकारी को देगा;
- (25) घोड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के इच्छुक व्यक्ति को घोड़ों की यात्रा सुरक्षा की स्थितियों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना चाहिए, नामतः -
1. किसी भी घोड़े को इस प्रकार से नहीं बांधा जाएगा कि यात्रा के दौरान उसके सिर तथा गर्दन की गतिविधियां अप्राकृतिक रूप से प्रभावित हों ।
  2. सभी घोड़ों को कम से कम प्रत्येक 4 घंटे में पानी पिलाया जाना चाहिए और 8 घंटे से अधिक की किसी भी यात्रा के दौरान भूसे को पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए ।
  3. परिवहन के दौरान वाहन में उचित वातायन तथा स्वच्छ वायु के प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
  4. फूस को बिछाए जाने के बजाए भूमि पर रबड़ मैट को बिछाए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
  5. घोड़ों का दौड़ के 24 घंटे के भीतर परिवहन नहीं किया जाना चाहिए ।
  6. जहाँ यात्रा की अवधि 6 घंटे से अधिक हो वहां पर किसी भी घोड़े को तब तक नहीं दौड़ाया जाना चाहिए जब तक कि उसकी यात्रा को 24 घंटे पूरे न हो गए हों ।

**प्रश्न 18.** क्या पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के संबंध में पंजीकरण हेतु कोई प्रक्रियाविधि निर्धारित करता है ?

**उत्तर 18 :** जी हाँ । उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 23 पंजीकरण हेतु प्रक्रियाविधि मुहैया करवाती है । करतब दिखाने वाले पशुओं के पंजीकरण के संबंध में पूरी की जाने वाली 5 शर्तें हैं -

- (1) किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रदर्शन अथवा प्रशिक्षण के इच्छुक किसी व्यक्ति को निर्धारित फार्म में विहित प्राधिकारी को आवेदन करना होता है तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है ।
- (2) पंजीकरण हेतु आवेदन में पशु के ब्यौरे और पशुओं द्वारा प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित किए जाने वाले कृत्यों की सामान्य प्रकृति को दिया जाएगा और इस प्रकार दिए गए ब्योरों की विहित प्राधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी ।
- (3) विहित प्राधिकारी अपने द्वारा रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि वाले नाम के प्रत्येक व्यक्ति को विहित फार्म में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देगा जिसमें रजिस्टर में प्रविष्टि किए गए ब्यौरे शामिल होंगे ।
- (4) प्रत्येक रजिस्टर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध है ।
- (5) जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज है वह रजिस्टर में अपने संबंध में दर्ज ब्योरों को इस प्रयोजन हेतु एक आवेदन देकर बदलवाने का पात्र है और जहाँ ऐसे ब्योरों में बदलाव लाया जाएगा वहाँ विद्यमान प्रमाण-पत्र को निरस्त करके एक नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

**प्रश्न 19.** पंजीकरण हेतु 'विहित प्राधिकारी' और 'निर्धारित भुगतान' का क्या अर्थ है ? किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर की जाँच हेतु निर्धारित शुल्क क्या है ?

**उत्तर 19 :** विहित प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है । इस बोर्ड की स्थापना पशु कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा से बचाने के लिए की गई है ।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

3, सीवार्ड रोड

वाल्मीकि नगर  
थिरुवनमयूर  
चेन्नई 600041  
टेलीफोन - (044)-24454935, 24454958  
फैक्स - (044) - 24454330  
ई-मेल : awbi@md3.vsnl.net.in

करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973 की धारा 4 जो शुल्क तथा पंजीकरण को देखती है, बताती है कि पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ 25/- रुपए का शुल्क होना चाहिए जिसे या तो नगद अथवा विहित प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से अदा किया जा सकता है। शुल्क को करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 के अनुसार संशोधित किया गया है।

करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973 की धारा 7 बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर की जाँच करने का इच्छुक है वह ऐसा किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान 2/- रुपए के निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसा कर सकता है।

**प्रश्न 20.** करतब दिखाने वाले पशुओं के पंजीकरण के संबंध में केन्द्र सरकार के नियम क्या हैं ?

**उत्तर 20 :** केन्द्र सरकार ने करतब दिखाने वाले पशुओं के पंजीकरण के संबंध में नियमों में संशोधन किया है। इन्हें करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 में मुहैया करवाया गया है।

धारा 2(जी) यह निर्दिष्ट करती है कि "विहित प्राधिकारी" का अर्थ केन्द्र सरकार अथवा ऐसा कोई प्राधिकारी है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई बोर्ड भी शामिल हो सकता है।

धारा 2 (एच) यह निर्दिष्ट करती है कि "करतब दिखाने वाले पशु" का अर्थ ऐसा कोई पशु है जिसका उपयोग फिल्म, अथवा किसी अश्वीय स्पर्धा सहित ऐसे किसी मनोरंजन के प्रयोजन हेतु किया जाता है जिसमें जनता को आमंत्रित किया गया हो। इसमें घुड़दौड़, पोलो मैच तथा घोड़े शामिल होने वाली अन्य लोक स्पर्धाएँ शामिल हैं।

धारा 4 में शुल्क तथा पंजीकरण का उल्लेख है जहाँ पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ 500 रुपए (पांच सौ रुपए) का शुल्क संलग्न होना चाहिए ।

**प्रश्न 21. ऐसे कृत्य क्या हैं जो करतब दिखाने वाले पशुओं के संबंध में अपराध हैं ?**

**उत्तर 21 :** पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 26 ऐसे कृत्यों को सूचीबद्ध करती है जो करतब दिखाने वाले पशुओं के संबंध में अपराध सिद्ध होते हैं । धारा 26 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित को कर रहा हो तो वह अधिनियम का उल्लंघन है -

- बिना पंजीकरण करवाए किसी करतब दिखाने वाले पशु का प्रदर्शन अथवा प्रशिक्षण करता हो; अथवा
- इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने पर किसी ऐसे करतब दिखाने वाले पशु का प्रदर्शन अथवा प्रशिक्षण करता हो अथवा किसी ऐसे तरीके से करता हो जिसके संबंध में वह पंजीकृत नहीं है ।
- किसी ऐसे पशु को करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित करता हो जिसका उपयोग प्रदर्शन के प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकता है ।

**(प्रश्न 16 का उत्तर भी देखें)**

- करतब दिखाने वाले पशुओं को रखे जाने वाले किसी परिसर में किसी व्यक्ति अथवा पुलिस अधिकारी के प्रवेश को बाधित करता है अथवा जानबूझकर विलंब करवाता है ।
- ऐसी जाँच से बचने के लिए पशुओं को छुपाता है ।

ऐसे अपराध का दो-नी पाए जाने पर किसी व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जाएगा और अभियोजन पर 500 रुपए तक का जुर्माना अथवा 3 माह तक की कैद अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है ।

**प्रश्न 22. क्या पशुओं का व्यापार किए जाने वाले पशु मेले वैध हैं ?**

**उत्तर 22 :** ऐसे मेले जहाँ पशुओं को बेचा जाता है आमतौर पर किसानों के लिए होते हैं । तथापि, हाल के वर्षों में उनका कसाईयों को पशुओं की आपूर्ति करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है । यह अवैध है और इसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन विभिन्न उपाय कर सकता है । ट्रकों को मेले के निकट प्रतिबंधित किया जा सकता है



और किसी भी मवेशी को ट्रक में चढ़ाए जाने की अनुमति नहीं हो सकती है । क्रेताओं में प्रत्येक को दो पशुओं तक ही सीमित किया जा सकता है । जब मवेशी की नीलामी की जाए तो क्रेता को यह स्प-ट करना चाहिए कि वह किस प्रयोजन से पशु का क्रय कर रहा है और इसे प्रमाणित करवाया जाना चाहिए ताकि गौ-वध से बचा जा सके जोकि एक अपराधिक अपराध है । पशुओं के बचाव में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इसने उनकी उचित सफाई, पो-ण, आवास तथा पशुओं के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में निधियां आवंटित करनी चाहिए । उनकी नीलामी से अर्जित धन के एक भाग को इन पशुओं की देखभाल पर व्यय किया जाना चाहिए । "हाट " अथवा मेला लगाए जाने वाले स्थान के स्थानीय प्राधिकारी को यह देखना चाहिए कि पशुओं के स्वामियों द्वारा उनकी उचित देखभाल की गई हो । जहाँ कहीं संभव हो इन मेलों के आयोजन में स्थानीय एनजीओ को भी शामिल किया जाना चाहिए । नगर निगम को इन मेलों में पशु बचाव कानून का उल्लंघन करने वाले दोषियों से जब्त किए गए पशुओं की देखभाल तथा उपचार हेतु स्थानीय आश्रयों को अस्पताल के रूप में भी घो-नित करना चाहिए । किसी भी जंगली पशु अथवा पक्षी अथवा अन्य किसी जंगली प्रजाति को ऐसे मेलों में बेचा अथवा लाया नहीं जा सकता है ।

**प्रश्न 23.** क्या पुलिस प्रयोजन हेतु किसी पशु का प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन अपराध है ?

**उत्तर 23 :** जी नहीं । पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 27 एक छूट दिए जाने वाले खंड के रूप में कार्य करती है जो प्रामाणिक सैन्य अथवा पुलिस प्रयोजन हेतु पशुओं के प्रशिक्षण की अनुमति देती है । तथापि, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 इन पशुओं पर भी लागू होती है । यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी भी पशु के साथ क्रूरतापूर्ण अथवा उनको क्षति पहुंचाने वाले तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता है ।

**प्रश्न 24.** क्या पुलिस के पास करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित अथवा प्रदर्शित किए जा रहे किसी परिसर की जाँच करने की शक्ति है ?

**उत्तर 24 :** जी हाँ । यदि पुलिस अधिकारी की जानकारी में यह आता है कि किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन में अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा शामिल है तो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 25 यह प्रावधान करती है कि सब-इंस्पेक्टर से निचले दर्जे का न होने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी भी तर्क संगत समय पर ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश तथा जाँच

कर सकता है जहाँ करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित अथवा प्रदर्शित किया जा रहा है अथवा प्रशिक्षण या प्रदर्शन के लिए रखा जा रहा है और प्रशिक्षक अथवा प्रदर्शक से पंजीकरण के प्रमाण-पत्र को दिखाने की मांग कर सकता है। धारा 26 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जोकि -

- करतब दिखाने वाले पशुओं को रखे जाने वाले किसी परिसर में प्रवेश तथा जाँच हेतु किसी व्यक्ति अथवा पुलिस अधिकारी के जाने में बाधा पहुंचाता है अथवा जानबूझकर विलंब करता है;

- ऐसी किसी भी जाँच से बचने के लिए पशुओं को छुपाता है;

वह अभियोजन पर 500 रुपए तक के जुर्माने अथवा 3 माह तक की कैद अथवा दोनों के दण्ड का भागीदार होगा।

**प्रश्न 25. क्या पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 पुलिस को तलाशी तथा जब्त करने की शक्तियां प्रदान करता है ?**

**उत्तर 25 :** जी हाँ। अधिनियम की धारा 32 में यह प्रावधान है कि यदि सब-इंस्पेक्टर से निचले दर्जे के न होने वाले किसी पुलिस अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण है कि क्रूरता का कोई अपराध किया गया है अथवा किसी व्यक्ति के पास किसी ऐसे पशु की खाल है जिसके साथ सिर का कोई भाग जुड़ा हुआ है तो वह उस स्थान पर अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर जहाँ पर उसके पास यह मानने का कारण है कि खाल हो सकती है, तलाशी ले सकता है और उस खाल अथवा उक्त अपराध को करने में प्रयोग किए गए किसी औजार अथवा वस्तु को जब्त कर सकता है।

यदि सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के दर्जे के किसी पुलिस अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि उसके क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में किसी पशु पर फूका अथवा धारा 12 में संदर्भित प्रकृति का कोई अन्य कार्य किया गया है अथवा किया जाएगा तो वह किसी भी ऐसे स्थान पर जा सकता है जहाँ उसके मतानुसार ऐसा कोई पशु है और उस पशु को जब्त करके क्षेत्र के प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

**भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियमावली, 1965**

**प्रश्न 26. भार-वाहक पशुओं हेतु अधिकतम भार कितना है ?**

**उत्तर 26 :** नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें पशुओं अथवा पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों द्वारा उठाए जाने वाले अधिकतम अनुमेय भार को दिया गया है -

**तालिका - 1**

1) छोटा बैल अथवा छोटी भैंस	दुपहिया वाहन -	
	(ए) यदि बॉल बियरिंग लगी हुई हों	1000 किलोग्राम
	(बी) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हुए हों	750 किलोग्राम
	(सी) यदि न्यूमेटिक टायर न लगे हुए हों	500 किलोग्राम
2) मध्यम आकार का बैल अथवा मध्यम आकार की भैंस	दुपहिया वाहन -	
	(ए) यदि बॉल बियरिंग लगी हुई हों	1400 किलोग्राम
	(बी) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हुए हों	1050 किलोग्राम
	(सी) यदि न्यूमेटिक टायर न लगे हुए हों	700 किलोग्राम
3) बड़ा बैल अथवा बड़ी भैंस	दुपहिया वाहन -	
	(ए) यदि बॉल बियरिंग लगी हुई हों	1800 किलोग्राम
	(बी) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हुए हों	1350 किलोग्राम
	(सी) यदि न्यूमेटिक टायर न लगे हुए हों	900 किलोग्राम
4) घोड़ा अथवा खच्चर	दुपहिया वाहन -	
	(ए) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हुए हों	750 किलोग्राम
	(बी) यदि न्यूमेटिक टायर न लगे हुए हों	500 किलोग्राम
5) टट्टू	दुपहिया वाहन -	

	(ए) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हुए हों	600 किलोग्राम
	(बी) यदि न्यूमेटिक टायर न लगे हुए हों	400 किलोग्राम
6) ऊँट	दुपहिया वाहन	1000 किलोग्राम

घोड़े से खींचा जाने वाला एक तांगा अधिकतम 4 यात्रियों तथा एक चालक अथवा कुल 325 किलोग्राम भार को ढो सकता है ।

**प्रश्न 27. भारवाही पशुओं पर अनुमेय अधिकतम भार क्या है ?**

**उत्तर 27 :** नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें भारवाही पशुओं द्वारा उठाए जा सकने वाले अधिकतम भार को दिया गया है ।

**तालिका 2**

(1)	छोटा बैल अथवा छोटी भैंस	100 किलोग्राम
(2)	मध्यम बैल अथवा मध्यम भैंस	150 किलोग्राम
(3)	बड़ा बैल अथवा भैंस	175 किलोग्राम
(4)	टट्टू	70 किलोग्राम
(5)	खच्चर	200 किलोग्राम
(6)	गधा	50 किलोग्राम
(7)	ऊँट	250 किलोग्राम

**प्रश्न 28. भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियमावली, 1965 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियां क्या हैं ?**

**उत्तर 28 :** अधिनियम की धारा 11 यह प्रावधान करती है कि यदि कांस्टेबल के दर्जे से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी यह महसूस करता है कि पशु पर अधिक भार लादा गया है तो वह उस पशु के स्वामी अथवा उसके प्रभार वाले अन्य किसी व्यक्ति को पशु अथवा वाहन या दोनों को पशु द्वारा खींचें अथवा उठाए जा रहे भार का वजन तोलने के प्रयोजन से तराजू पर ले जाने के लिए कह सकता है ।

यदि उक्त पशु का प्रभारी स्वामी पुलिस अधिकारी की मांग का अनुपालन करने से मना करता है तो पुलिस वाले के पास पशु अथवा वाहन अथवा दोनों को तराजू पर ले जाने तथा उसे तुलवाने का पूरा अधिकार होगा । जैसे ही इस नियम के अंतर्गत किसी वजन को निर्धारित किया जाता है तो उक्त पशु का स्वामी अथवा अन्य प्रभारी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण दिया जाएगा जिसमें इस प्रकार निर्धारित वजन और इस प्रयोजन हेतु संगत अन्य सूचना दी गई होगी ।

**प्रश्न 29. भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के उपयोग हेतु सामान्य शर्तें क्या हैं ?**

**उत्तर 29 :** भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियमावली, 1965 की धारा 6 भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के उपयोग हेतु सामान्य शर्तें निर्धारित करती हैं । किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित हेतु किसी वाहन को खींचने अथवा भार को उठाने के लिए किसी पशु के प्रयोग की अनुमति नहीं है -

- (1) एक दिन में औसतन 9 घंटे से अधिक के लिए;
- (2) पशु को कोई विश्राम दिए बिना 5 घंटे से अधिक तक लगातार;
- (3) किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ तापमान 37 डिग्री सेल्सियस (99 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक होता हो वहाँ दोपहर 12 से अपराह्न 3 बजे के मध्य । इसका अर्थ यह है कि भारत में ऐसे सभी स्थानों में जहाँ तापमान गर्मियों में नियमित रूप से 40 डिग्री से अधिक रहता है वहाँ भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं का उपयोग करना अवैध है ।

**प्रश्न 30. भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियमावली, 1965 के संबंध में अन्य संगत प्रावधान क्या हैं ?**

**उत्तर 30 :** भार-वाहक तथा भारवाही पशुओं का उपयोग करते समय और भी अनुपालन किए जाने वाले प्रावधान ये हैं -

धारा 7 - पशुओं से कार्य करवा लेने के पश्चात उन्हें खोल कर आराम करने देना चाहिए । कोई भी व्यक्ति किसी भार-वाही पशु को उस पशु के आराम के समय जोते हुए नहीं रख सकता है ।

धारा 8 - कांटे वाले उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है । कोई भी व्यक्ति किसी पशु पर चढ़ने अथवा उसे खींचने अथवा नियंत्रण के लिए किसी कांटे वाली छड़ी अथवा अन्य तीखे उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता है जिससे पशुओं पर खरोच, सूजन, घाव अथवा उन्हें गंभीर दर्द हो ।

धारा 9 - घोड़े पर काठी रखे जाने के संबंध में कोई भी व्यक्ति घोड़े पर काठी को इस तरह नहीं रखेगा कि वह सीधे घोड़े के स्कन्ध पर आती हो और काठी तथा स्कन्ध के मध्य पर्याप्त दूरी न हो ।

### पशुओं का परिवहन नियम, 1978

**प्रश्न 31. पशुओं के परिवहन हेतु सामान्य शर्तें क्या हैं ?**

**उत्तर 31 :** पशुओं का परिवहन नियम, 1978 की धारा 98 पशुओं के परिवहन हेतु कुछ सामान्य शर्तों को निर्धारित करती है ।

- (1) परिवहन किए जाने वाले पशु स्वस्थ तथा अच्छी स्थिति में होने चाहिए संक्रामक से मुक्त होने और यात्रा को कर पाने की उनकी फिटनेस के लिए किसी पशु चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाना चाहिए बशर्ते फिटनेस की डिग्री का निर्धारण करते समय प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति तथा अवधि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- (2) कोई पशु जो परिवहन के लिए फिट नहीं है उसका परिवहन नहीं किया जाना चाहिए और नवजात, रोगी, अंधे, कमजोर, लंगड़े, थके हुए अथवा पिछले 72 घंटों के दौरान जन्म देने वाले अथवा परिवहन के दौरान जन्म देने की संभावना वाले का परिवहन नहीं किया जाना चाहिए ।
- (3) गर्भवती तथा बहुत युवा पशुओं को परिवहन के दौरान अन्य पशुओं के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।
- (4) परिवहन के दौरान पशुओं की विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए ।
- (5) बीमार पशुओं के उपचार हेतु परिवहन किए जाने पर उन्हें अन्य पशुओं के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।

**प्रश्न 32. पशुओं का परिवहन करते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ?**

**उत्तर 32 :** पशुओं का परिवहन नियम, 1978 की धारा 98 में निर्धारित सामान्य शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए । यदि पशुओं के परिवहन के संबंध में उक्त सामान्य शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो पशुओं को तुरंत उतार कर निकटवर्ती पशु आश्रय में भेज दिया जाना चाहिए । कुछ और शर्तें जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए वे निम्नलिखित हैं -

- परिवहन किया जाने वाला वाहन पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए ताकि पशुओं को आरामदायक तरीके से ले जाया जा सके और पशु भीतर ठूस कर नहीं भरे गए होने चाहिए । पशुओं की बाहर के मौसम से भी रक्षा की जानी चाहिए ।
- पशुओं का टैम्पो द्वारा परिवहन किए जाने की अनुमति नहीं है ।
- वाहन के भीतर विभाजन को समूची चौड़ाई में प्रत्येक 2 अथवा 3 मीटर पर मुहैया करवाया जाना चाहिए ताकि पशुओं की भीड़भाड़ न हो और वे आपस में न फंसे ।
- यात्रा के दौरान अंत तक के लिए पर्याप्त भोजन तथा जल को ले जाया जाना चाहिए और जल पिलाए जाने की सुविधा को नियमित अंतराल पर मुहैया करवाया जाना चाहिए ।
- वाहन में प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) उपकरण उपलब्ध होने चाहिए ।
- पशुओं को चढ़ाने तथा उतारने के लिए उचित रैम्प मुहैया करवाए जाने चाहिए ।
- पशुओं के चोट से बचाव के लिए पैडिंग हेतु सामग्री जैसेकि फूस को फर्श पर रखा जाना चाहिए और इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, पशुओं की विभिन्न श्रेणियों के परिवहन हेतु विशि-ट नियम हैं जिन्हें पशुओं का परिवहन नियम, 1978 के अंतर्गत मुहैया करवाया गया है जो विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा ले जाई जा सकने वाली पशुओं की अधिकतम संख्या को निर्दि-ट करता है । पशुओं पर ओवरलोडिंग किया जाना पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अंतर्गत आता है । दो-नी (पहले अपराध के मामले में) को जुर्माना अदा करना होगा जिसकी राशि 50/- रुपए तक हो सकती है (यह प्रति पशु के लिए है) और यह दूसरी बार अथवा उसके बाद के अपराध जोकि पिछले अपराध के 3 वर्-न के भीतर किए गए हो तो उस पर 25/- रुपए से कम नहीं और 100/- रुपए तक का जुर्माना अथवा 3 माह तक की अवधि हेतु कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है । दूसरे अपराध के मामले में दो-नी का वाहन जब्त कर लिया जाएगा और फिर उसे कभी भी दुबारा पशु रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

**प्रश्न 33. पशुओं का परिवहन नियम, 1978 के अंतर्गत बंदरों के परिवहन हेतु क्या नियम हैं ?**

**उत्तर 33 :** बंदरों का परिवहन उचित लकड़ी अथवा बांस के पिंजड़ों में किया जाना चाहिए । रेल द्वारा बंदरों के परिवहन के दौरान निम्नलिखित आकार के दो पिंजड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए -

(क) 910x760x510 एमएम - इस पिंजड़े में 1.8 से 3.0 किलोग्राम प्रत्येक के मध्य के 12 से अधिक अथवा 3.1 से 5.0 किलोग्राम प्रत्येक के 10 से अधिक बंदर नहीं होंगे ।

(ख) 710x710x519 एमएम - इस पिंजड़े में 1.8 से 3.0 किलोग्राम प्रत्येक के मध्य के 10 से अधिक और 3.1 से 5.0 किलोग्राम प्रत्येक के 8 से अधिक बंदर नहीं होंगे ।

इसके अतिरिक्त, एक पिंजड़े के ऊपर एक से अधिक पिंजड़ा नहीं रखा जाएगा और एक के ऊपर एक पिंजड़ा रखे जाने के मामले में दो पिंजड़ों के मध्य बोरियों की तह रखी जाएगी ।

जब बंदरों का परिवहन वायु मार्ग द्वारा किया जा रहा हो तो निम्नलिखित दो आकार के पिंजड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए -

(क) 460x460x460 एमएम - इस पिंजड़े में 1.8 से 3.0 किलोग्राम प्रत्येक के मध्य के 10 से अधिक और 3.1 से 5.0 किलोग्राम प्रत्येक के 4 से अधिक बंदर नहीं होंगे ।

(ख) 760x530x460 एमएम - इस पिंजड़े में 1.8 से 3.0 किलोग्राम प्रत्येक के मध्य के 10 से अधिक और 3.1 से 5.0 किलोग्राम प्रत्येक के 8 से अधिक बंदर नहीं होंगे ।

**प्रश्न 34.** रेलवे ट्रैक के विभिन्न गेज के प्रकारों के मध्य दूरी कितनी होती है ?

**उत्तर 34 :** गेज दो समानांतर रेलवे ट्रैकों के मध्य दूरी है जहाँ

(क) ब्रॉड गेज में दो ट्रैकों के मध्य दूरी 5 फिट 6 इंच होती है ।

(ख) मीटर गेज में दो ट्रैकों के मध्य दूरी 3 फिट 3 इंच होती है ।

(ग) नैरो गेज में दो ट्रैकों के मध्य दूरी 2 फिट 6 इंच होती है ।

**प्रश्न 35.** पशुओं का परिवहन नियम, 1978 के अंतर्गत मवेशियों के परिवहन हेतु क्या नियम हैं ?

**उत्तर 35 :** जब मवेशियों का परिवहन रेल द्वारा किया जाना हो तो एक सामान्य माल डिब्बे में ब्रॉड गेज पर 10 से अधिक वयस्क मवेशी अथवा 15 बछड़े, मीटर गेज में 6 से अधिक वयस्क मवेशी अथवा 10 बछड़े से अधिक और नैरो गेज पर 4 वयस्क मवेशी अथवा 6 बछड़ों से अधिक नहीं होने चाहिए । समान वाले वाहन से मवेशियों का



परिवहन करते समय एक ट्रक में केवल 6 वयस्क मवेशियों को ही ले जाया जा सकता है । एक ट्रक में केवल 4 भैंसों को ही ले जाया जा सकता है । 142 इंच से कम पहिया आधार होने वाले ट्रक बिना बछड़े के 5 अथवा बछड़े के साथ 4 से अधिक मवेशियों को नहीं ले जा सकते हैं ।

**प्रश्न 36. पशुओं का परिवहन नियम, 1978 के अंतर्गत घोड़ों के परिवहन हेतु क्या नियम है ?**

**उत्तर 36 :** रेल द्वारा घोड़ों के परिवहन हेतु एक सामान्य माल वाले डिब्बे में ब्रॉड गेज पर 8 से 10 घोड़े अथवा 10 खच्चर या गधे से अधिक नहीं होने चाहिए और मीटर गेज पर 6 घोड़े अथवा 8 गधे या खच्चर से अधिक नहीं होने चाहिए ।

यदि घोड़ों का परिवहन समान वाले वाहन द्वारा किया जाना है तो प्रत्येक वाहन में 4 से 6 से अधिक घोड़े नहीं होने चाहिए ।

समुद्र द्वारा घोड़ों के परिवहन के संबंध में सामान्यतः घोड़ों को एक सिंगल स्टाल में और खच्चरों को बाड़ों में रखा जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक बाड़े में अधिकतम 4 से 5 खच्चर हों ।

**प्रश्न 37. पशुओं का परिवहन नियम, 1978 में भेड़ों तथा बकरियों के परिवहन के लिए क्या नियम है ?**

**उत्तर 37 :** रेल वैंगन द्वारा भेड़ तथा बकरियों के परिवहन हेतु चार्ट नीचे दिया गया है -

ब्रॉड गेज	मीटर गेज		नैरो गेज
21.11 वर्ग मीटर से कम के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 70 भेड़ अथवा बकरियां	21.11 वर्ग मीटर से अधिक के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 100 भेड़ अथवा बकरियां	12.5 वर्ग मीटर से कम के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 50 भेड़ अथवा बकरियां	12.5 वर्ग मीटर से अधिक के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 60 भेड़ अथवा बकरियां

सामान वाले वाहन जिनकी क्षमता 4.5 से 5 टन है और जिनका उपयोग आमतौर पर पशुओं के परिवहन के लिए किया जाता है उनमें 40 भेड़ अथवा बकरियों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

**प्रश्न 38.** रेल, सड़क तथा वायु मार्ग द्वारा पोलट्री के परिवहन हेतु क्या नियम हैं ?

**उत्तर 38 :** पोलट्री का रेल, सड़क तथा वायु मार्ग द्वारा परिवहन किए जाते समय कंटेनरों का उपयोग किया जाता है । पोलट्री के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले क्रेटों को स्टेरिलाइज किया जाना चाहिए और एक के ऊपर एक करके नहीं रखा जाना चाहिए । इन कंटेनरों में रखी जा सकने वाली पोलट्री की विशि-ट संख्या है ।

	पोलट्री का प्रकार	एक कंटेनर में संख्या
(1)	एक माह के चूजे	24
(2)	तीन माह के चूजे	12
(3)	वयस्क पोलट्री (बतख तथा टरकी को छोड़कर)	12
(4)	बतख तथा टरकी	10 युवा अथवा 2 बढ़ते हुए अथवा 1 वयस्क
(5)	नवजात चूजे	80
(6)	नवजात से थोड़े बड़े चूजे	60

**प्रश्न 39.** रेल अथवा सड़क द्वारा सुअरों के परिवहन हेतु क्या नियम हैं ?

**उत्तर 39 :** सड़क द्वारा सुअरों के परिवहन में पशुओं के परिवहन हेतु आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वाहनों में 20 से अधिक सुअर नहीं होने चाहिए ।

रेल द्वारा सुअरों का परिवहन करते समय रेल के एक डिब्बे में सुअरों की संख्या नीचे तालिका में दी गई संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए -

ब्रॉड गेज		मीटर गेज		नैरो गेज
21.1 वर्ग मीटर से कम के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 35	21.1 वर्ग मीटर से अधिक के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 50	12.5 वर्ग मीटर से कम के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 25	12.5 वर्ग मीटर से अधिक के वैंगन क्षेत्र में अधिकतम 30	अनुमति नहीं

**प्रश्न 40.** पैदल पशुओं के परिवहन के संबंध में क्या कोई विनियम है ?

**उत्तर 40 :** जी हाँ । पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 वहाँ पर लागू होते हैं जहाँ कहीं भी अंतर्ग्रस्त दूरी 5 किलोमीटर अथवा इससे अधिक होती है ।

- प्रत्येक पशु को एक निर्धारित फार्म में किसी पशु चिकित्सक द्वारा स्वस्थ प्रमाणित करना होता है ।
- स्वामी को पशुओं के साथ प्राथमिक उपचार उपकरण मुहैया करवाने होते हैं और साथ ही मार्ग के लिए उचित जल तथा चारा व्यवस्था करनी होती है । पशुओं को पानी पिलाए जाने के पश्चात 20 मिनट का और भोजन दिए जाने के पश्चात 1 घंटे का विश्राम दिया जाना चाहिए ।
- पशुओं को भगाने के लिए किसी चाबुक अथवा छड़ी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।
- किसी भी पशु को नाक अथवा पैर से नहीं बांधा जाना चाहिए केवल गले से ही बांधा जाना चाहिए । समान आकार के केवल दो पशुओं को ही एक रस्सी का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ बांधा जा सकता है । उन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी 2 फीट होनी चाहिए ।
- किसी भी पशु का सूर्य उदय से पूर्व अथवा सूर्यास्त के पश्चात भारी व-र्ना अथवा अत्यधिक शु-क स्थितियों में परिवहन नहीं किया जा सकता है ।
- गर्भवती, नवजात, अंधे, कमजोर, रूग्ण तथा लंगड़े पशुओं को पैदल नहीं ले जाया जा सकता है । वे पशु जिनमें नाल नहीं लगी होती जैसेकि बकरी, हाथी आदि उनका कड़े सीमेंट अथवा धातु वाली तारकोल की सड़कों अथवा पहाड़ी मार्ग में परिवहन नहीं किया जा सकता है ।
- कांस्टेबल के दर्जे से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार या एडब्ल्यूबीआई द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी स्वामी को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है ।

### पशु के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001

**प्रश्न 41.** वध गृहों के संबंध में क्या नियम है ?

**उत्तर 41 :** पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत नियम मुहैया करवाए गए हैं नामतः वधशाला नियम, 2001 ।

उक्त वर्णित नियमावली की धारा 2(सी) "वधगृह " को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित करती है जहाँ एक दिन में 10 अथवा अधिक पशुओं का वध किया जाता है

और जो किसी केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विधिवत लाइसेंस प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त है ।

उक्त वर्णित नियमावली की धारा 3(1) यह प्रावधान करती है कि पशुओं का एक मान्यता प्राप्त तथा लाइसेंस वाले वधगृह के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र वध नहीं किया जा सकता है ।

धारा 3(2) किसी भी ऐसे पशु के वध को प्रतिबंधित करती है जो कि

- गर्भवती हो अथवा
- जिसका 3 माह से कम आयु का कोई बच्चा हो अथवा
- जिसकी आयु 3 माह से कम हो अथवा
- जिसके लिए किसी पशु चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित न किया गया हो कि वह वध किए जाने हेतु एक उपयुक्त स्थिति में है ।

**प्रश्न 42. क्या वधगृह के अलावा कहीं और पशुओं का वध किया जाना वैध है ?**

**उत्तर 42 :** जहाँ कोई सरकारी वधगृह हो वहाँ पर कहीं अन्यत्र वध किया जाना प्रतिबंधित है । यदि उस क्षेत्र में कोई सरकारी वधगृह नहीं है तो हत्या किसी ऐसे लाइसेंस वाले वधगृह में की जा सकती है जोकि किसी ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ जनता को कोई परेशानी अथवा कोई पर्यावरणीय खतरा न हो । इन वधगृहों को नगर निगम के सभी कानूनों तथा आईएसआई विनियमों का पालन करना होता है । किसी भी पशु का झुग्गी-झोंपड़ी, सड़क के किनारे की मांस की दुकानों, ढाबे अथवा निजी घरों में वध नहीं किया जा सकता है । एक लाइसेंसबद्ध गृह के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर किसी पशु का वध किया जाना प्रतिबंधित है ।

लोगों को होने वाली परेशानी और पर्यावरणीय खतरे को देखते हुए तथा व्यापक जनहित में श्रीमती मेनका गांधी ने दिल्ली के ईदगाह वधगृह के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था । अदालत ने निम्नलिखित निदेश दिए जोकि सभी वधगृहों पर लागू होते हैं -

- (1) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वधगृह में कार्य करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।
- (2) प्रत्येक वधगृह के पास पशुओं की एक विहित संख्या के लिए लाइसेंस होता है जिससे अधिक की संख्या का वध नहीं किया जा सकता । उदाहरण के लिए यदि लाइसेंस 2500 प्रति दिन के लिए है तो वध किए गए पशुओं की संख्या

2500 प्रति दिन से अधिक नहीं हो सकती है अर्थात् 2000 भेड़ें तथा बकरियां और 500 भैंस ।

- (3) वध किए जाने वाले पशुओं के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व पशुओं की उचित तथा व्यापक जाँच के प्रयोजन हेतु पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सक उपलब्ध होने चाहिए ।
- (4) अपराध शुल्क को बढ़ाकर भेड़/बकरी के संबंध में 50 से 500 रुपए और भैंस के संबंध में 200 से 2000 रुपए कर दिया गया है ।
- (5) खुले ट्रक में ले जाने हेतु अनुमेय पशुओं की अधिकतम संख्या 40 बकरी/भेड़ तथा 4 भैंसों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (6) वधगृह के विभिन्न भागों में उचित प्रकाश, बिजली, पंखे तथा कूलर होने चाहिए ।

नगर निगम कानूनों के अनुसार जहाँ पर कोई नगर निगम का वधगृह है वहाँ पर कोई निजी वधगृह नहीं हो सकता है । और ऐसे वध गृहों को कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अवैध होते हैं ।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) नियमावली (आईएस:4392-1979) के अनुसार एक वधगृह हेतु आधारभूत आवश्यकता निम्नानुसार है -

- (क) एक वधगृह शहर अथवा नगर से बाहर अथवा सीमा पर और हवाई अड्डे से दूर होना चाहिए ।
- (ख) वहाँ पर पेयजल, बिजली तथा उचित स्वास्थ्यकारी सीवेज निपटान सुविधाएं होनी चाहिए ।
- (ग) वध से पूर्व पशुओं के लिए एक विश्राम स्थल होना चाहिए ।
- (घ) "वध पूर्व" जाँच हेतु पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए ।
- (ङ) वध को मानवीय रूप में किया जाना चाहिए ।
- (च) शवों को साफ किया तथा धोया जाना चाहिए ।
- (छ) मांस की उचित जाँच होनी चाहिए और मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त मांस का उचित निपटान होना चाहिए ।

यदि कोई वधगृह इन मानकों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है ।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 एक वधगृह हेतु निम्नलिखित आवश्यकताओं को निर्धारित करती है -

धारा 4(1) से (8) कहती है -

- वधगृह में उचित आकार का एक प्राप्ति क्षेत्र होना चाहिए जोकि पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं की जाँच के लिए पर्याप्त हो ।
- पशु चिकित्सक द्वारा पशु की जाँच किए जाने के पश्चात वह प्रत्येक पशु हेतु एक फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
- पशु चिकित्सक पूरी तरह से जांच करेगा और एक घंटे में 12 पशुओं से अधिक की और एक दिन में 96 पशुओं से अधिक की जाँच नहीं करेगा ।
- वधगृह के प्राप्ति क्षेत्र में वाहनों अथवा रेलवे वैंगन से पशुओं को सीधे उतारने के लिए उचित रैम्प होने चाहिए और उक्त प्राप्ति क्षेत्र में पशुओं के पो-नण तथा पानी पिलाए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए ।
- वधगृह में बीमार तथा संक्रमित रोगों से पीड़ित होने का संदेह होने वाले पशुओं तथा उद्दण्ड पशुओं के लिए पानी तथा पो-नण व्यवस्थाओं के साथ पृथक बाड़े मुहैया करवाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें शेन पशुओं से अलग रखा जा सके ।
- वध किए जाने वाले पशुओं की श्रेणी के अनुसार वधगृह में पर्याप्त धारण क्षेत्र मुहैया करवाया जाना चाहिए ।
- एंटी-मॉर्टम (मृत्यु से पूर्व) और बाड़े वाले क्षेत्र अधिमानतः कवर होने चाहिए और उन पर कंक्रीट के फिसलन न होने वाली खुरदरे (हेरिंग बोन प्रकार) फर्श अथवा खुरों द्वारा क्षति को सह सकने वाली ईंटों को बिछाया गया होना चाहिए । प्रवेश के अतिरिक्त क्षेत्र की सीमाओं के चारो ओर उपयुक्त निकास सुविधाओं को मुहैया करवाया जाना चाहिए ।

धारा 5(1) से (5) कहती है -

- प्रत्येक पशु को पशु चिकित्सक द्वारा जाँच किए जाने के पश्चात एक विश्राम स्थल पर ले जाया जाना चाहिए जोकि आकार में इतना पर्याप्त हो कि पशुओं की उचित संख्या को वध किए जाने के 24 घंटे पहले से विश्राम मिल सके ।
- बाड़ों में उपलब्ध स्थान बड़े पशु हेतु प्रति पशु 2.8 वर्ग मीटर और छोटे पशु हेतु प्रति पशु 1.6 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए ।

- पशुओं को उनके प्रकार तथा श्रेणी पर निर्भर करते हुए अलग रखा जाना चाहिए और उनकी गर्मी, सर्दी तथा वर्ना से रक्षा की जानी चाहिए ।
- विश्राम स्थल में पानी देने तथा मृत्यु पश्चात जाँच हेतु पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए ।

### प्रश्न 43. मांस की दुकान के लिए कानून क्या हैं ?

**उत्तर 43 :** मांस की दुकान का अर्थ एक ऐसी दुकान है जो पशु का वध नहीं करती है परन्तु उसके मांस को बेचती हैं । ऐसे कानून हैं जो इन दुकानों को नियंत्रित करते हैं । बीआईएस नियमावली (आईएस:7053-1996) बड़े तथा छोटे पशुओं के मांस की बिक्री हेतु स्टाल की आधारभूत आवश्यकताओं से संबन्धित है । ये मांस की बिक्री की लाइसेंसिंग तथा विनियमन और दुकान की स्वास्थ्यकारी स्थितियों को बनाए रखने हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड हैं । ये कहते हैं -

- मांस की सभी दुकानों को केवल एक निश्चित स्थान पर मांस बाजार की एक इकाई के रूप में स्थापित किया जा सकता है और यह सब्जी अथवा अन्य भोजन बाजार से दूर किसी स्थान पर होनी चाहिए ।
- एक क्षेत्र में कुछ मांस की दुकाने होनी चाहिए और उनके चारों ओर चाहरदीवारी होनी चाहिए जिससे उस क्षेत्र में कुत्ते, बिल्ली, पक्षियों आदि के प्रवेश को रोका जा सके ।
- प्रत्येक ब्लॉक में मांस की दुकानों द्वारा जल की निकासी को सुकर बनाने के लिए नलकों के साथ पेयजल भण्डारण आपूर्ति टंकियां मुहैया करवाई जानी चाहिए ।
- प्रत्येक दुकान में एक पानी का नल, पेयजल आपूर्ति, बिजली तथा उचित स्वास्थ्यकर सीवेज निपटान सुविधाएं होनी चाहिए ।
- एक मांस की दुकान में मांस तैयारी कक्ष, बिक्री काउंटर अथवा एंटी-कक्ष होना चाहिए और ग्राहकों हेतु आगे की ओर एक ढका हुआ रास्ता अथवा एक बरामदा होना चाहिए ।
- मांस तैयारी कक्ष स्टॉक पर निर्भर करते हुए छोटे पशुओं हेतु न्यूनतम 3.75x3x3 मीटर और बड़े पशुओं हेतु 4.5x4.5x4.5 मीटर का होना चाहिए ।
- क्रॉस वातायन (Cross Ventilation) को सुकर बनाने के लिए छत के निकट स्क्रीन्ड वेंटीलेटर मुहैया करवाए जाने चाहिए ।

- मांस अवांछित दुर्गंध, धुएं, धूल अथवा अन्य संदू-कों से मुक्त होना चाहिए । सभी चाकू तथा औजार स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए ।
- इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृत शरीरों पर सूर्य की सीधी रोशनी न पड़े ।
- कक्षों को उपयुक्त रूप से मक्खियों से रहित बनाया जाना चाहिए और उनमें मक्खियों को पकड़ने वाले उपकरणों को मुहैया करवाया जाना चाहिए ।
- सभी कक्षों के फर्शों का निर्माण इस तरह किया गया होना चाहिए कि पानी से आसानी से धुलाई तथा सफाई संभव हो ।
- ग्राहकों हेतु मांस की दुकान में वर्ना तथा धूप से बचाव के लिए एक ढका हुआ रास्ता मुहैया करवाया जाना चाहिए ।

#### **प्रश्न 44. क्या ऊंट का मांस बेचना एक अपराध है ?**

**उत्तर 44 :** ऊंट का मांस पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार भोजन की कोई अधिसूचित मद नहीं है । वर्तमान में नगर निगम की सीमाओं के भीतर मवेशी, बकरी, भेड़ तथा सुअरों का वध किए जाने के लिए ही प्रावधान उपलब्ध है । ऐसा कोई अर्हक पशु चिकित्सक सर्जन नहीं है जो किसी ऊंट की फिटनेस को अथवा मानव द्वारा उपभोग हेतु इसके मांस की उपयुक्तता को प्रमाणित कर सके अथवा ऊंट का वध करने के लिए कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति नहीं हैं । न ही नगर निगम की सीमाओं के भीतर ऊंट के मांस की बिक्री हेतु कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति है । भैंसे के मांस को बेचने का लाइसेंस ऊंट के मांस की बिक्री को समर्थ नहीं बनाएगा ।

#### **प्रश्न 45. क्या बकरीद पर गायों का वध अवैध है ?**

**उत्तर 45 :** बकरी के अलावा किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता है । कलकत्ता की खंड पीठ ने यह निर्णय दिया है कि बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा गायों का वध मुस्लिम धर्म के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है और इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को बनाए रखा है ।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियमावली, 2001 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति स्लम, सड़क के किनारे की मांस की दुकानों अथवा ढाबों या निजी घरों में किसी पशु का वध नहीं कर सकता है । यह नियम बकरियों के



वध पर भी लागू होता है विशेषकर बकरीद पर जब वे सड़कों के किनारे सहित किसी भी स्थान पर काटी जाती हैं। वध सरकार द्वारा निर्धारित इदगाहों में किया जा सकता है परंतु मस्जिदों में नहीं।

## पशु बलि पर कानून

**प्रश्न 46. क्या पशुओं की बलि देना अवैध है ?**

**उत्तर 46 :** जी हाँ। पशु बलि अवैध है। पशु बलि का कृत्य स्थानीय नगर निगम अधिनियमों, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत कवर होता है। यह पक्षी एवं पशु बलि निषेध अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों में विशेष रूप से भी प्रतिबंधित है -

- (क) आंध्र प्रदेश
- (ख) गुजरात
- (ग) कर्नाटक
- (घ) केरल
- (ङ) पांडिचेरी
- (च) राजस्थान
- (छ) तमिलनाडु

### ● स्थानीय नगर निगम अधिनियम

नगर निगम कानून किसी निगम क्षेत्र के भीतर लाइसेंस वाले वधगृह के अलावा अन्य कहीं पर किसी पशु के वध को प्रतिबंधित करते हैं। चूंकि मंदिर तथा गलियां, जहाँ आमतौर पर पशुओं की बलि दी जाती है, बिना लाइसेंस वाले होते हैं इसलिए इन स्थानों पर पशुओं का वध किया जाना अवैध होता है।

### ● पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

यह अधिनियम किसी पशु को अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा दिए जाने को प्रतिबंधित करता है और ऐसे अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा देने को एक दण्डात्मक अपराध बनाता है। पीसीए की धारा 11 की उप धारा (3) कहती है कि किसी पशु के स्वामित्व वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उस पशु की कुशलता

और उसे अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा से बचाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी तर्कसंगत कदम उठाए । इस अधिनियम के अंतर्गत पहले अपराध के मामले में दण्ड 50/- रुपए तक का जुर्माना है और दूसरे अथवा उसके बाद वाले अपराध को पहले अपराध के किए जाने के 3 वर्ष के भीतर किए जाने पर 25/- रुपए से लेकर 100/- रुपए तक का जुर्माना अथवा 3 माह की कैद अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है । दूसरे अपराध के मामले में दो-नी का वाहन जब्त कर लिया जाएगा और उसे फिर दुबारा पशु रखने की अनुमति नहीं होगी ।

#### ● वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

यह अधिनियम धारा 39 के अंतर्गत सरकारी सम्पत्ति माने जाने वाले किसी भी जंगली पशु को क्षति पहुंचाए जाने को प्रतिबंधित करता है । इस अधिनियम में "पशु" की परिभाषा में जलचर, पक्षी, रेंगने वाले जन्तु तथा स्तनधारी और उनके बच्चे आते हैं । पक्षियों तथा रेंगने वाले जन्तुओं के मामले में उनके अंडों को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाता है । अधिनियम की धारा 51 इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दो-नी व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान करती है । आरोपी को अभियोजन पर 3 वर्ष की कैद अथवा 25,000/- रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जाएगा । दूसरे अथवा उसके बाद वाले अपराध के मामले में कैद 7 वर्ष की और जुर्माना 10,000/- रुपए का होगा । यह विशेषकर जनजातीय रीति-रिवाजों पर लागू होता है जिनमें जंगली पशुओं को पकड़ना तथा उनकी हत्या करना शामिल होता है ।

#### ● भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), 1860

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 268 किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन हेतु पंजीकृत स्थान के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक स्थल पर वध किए गए पशुओं से प्राप्त मांस की बिक्री अथवा वितरण को प्रतिबंधित करने के लिए आरोप-पत्र दायर करने के लिए समर्थ बनाती है । इसके अतिरिक्त, किसी सार्वजनिक स्थल पर पशु की हत्या करना लोक उपद्रव है तथा जनता को इससे परेशानी होती है । आईपीसी की धारा 268 के अनुसार कोई व्यक्ति तब लोक उपद्रव का दो-नी है जब वह कोई ऐसा कृत्य करता है अथवा अवैध कृत्य की कोई ऐसी चूक करता है जिससे जनता को आमतौर पर चोट, खतरा अथवा परेशानी होती हो, जो आस-पास की संपत्ति पर निवास करे अथवा उसका उपयोग करे अथवा जोकि आवश्यक रूप से सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को चोट,

बाधा, खतरा पहुंचाए अथवा परेशान करे । किसी आम उपद्रव को इस आधार पर क्षमा नहीं किया जा सकता कि उससे किसी को सुविधा पहुंचती है अथवा लाभ होता है । इसके अतिरिक्त, आईपीसी की धारा 269 तथा 270 के अनुसार जीवन को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी रोग के फैलने की संभावना वाला लापरवाही अथवा जानबूझकर किया गया कोई भी कृत्य एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिए दो वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं ।

### पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण ) नियमावली, 1968

**प्रश्न 47. पशुओं पर प्रयोग करने के संबंध में कानून की क्या स्थिति है ?**

**उत्तर 47 :** पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण) नियमावली, 1968 की धारा 4 पशुओं पर होने वाले प्रयोगों को करने के लिए कुछ शर्तों को निर्धारित करती है जोकि निम्नानुसार हैं -

- प्रयोगों को उचित ध्यान देते हुए तथा मानवता के साथ किया जाना चाहिए ।
- प्रत्येक मामले में प्रयोगों को इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त रूप से सुसज्जित तथा स्टाफ वाली एक प्रयोगशाला में उचित रूप से दक्ष व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके पर्यवेक्षण में और प्रयोग कर रहे व्यक्ति की जिम्मेवारी के अधीन किया जाना चाहिए ।
- किसी प्रयोग में पशुओं की न्यूनतम संख्या का उपयोग किया जाना चाहिए ।
- साधारण बेहोशी अथवा अधिक ऊपरी चीर-फाड़ से गम्भीर ऑपरेशन प्रक्रियाविधि अंतर्ग्रस्त होने वाले प्रयोगों में उन्हें उचित शक्ति वाली बेहोशी की दवा के प्रभाव में किया जाना चाहिए ताकि पशु को दर्द महसूस न हो और ऐसा समूचे प्रयोग के दौरान रहना चाहिए ।
- प्रयोग को किसी कौशल को प्राप्त करने अथवा बनाए रखने के प्रयोजन हेतु नहीं किया जाना चाहिए ।
- प्रयोग को विद्यालय अथवा कॉलेजों में व्याख्यान के उदाहरण हेतु नहीं किया जाना चाहिए ।
- प्रयोगों को जन प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाना चाहिए सिवाय ज्ञान के विकास के अतिरिक्त ।

- किसी प्रयोग के प्रयोजन हेतु यूरारी (Urari) अथवा क्यूरारी (Curari) जैसे किसी पदार्थ अथवा अन्य किसी अशक्त करने वाले पदार्थ का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए सिवाय अचेत करने के लिए पर्याप्त शक्ति वाली बेहोशी की दवा के साथ ।

**प्रश्न 48. क्या प्रयोग हेतु पशुओं को बेचा जाना अवैध है ?**

**उत्तर 48 :** जी हाँ, प्रयोग के लिए पशुओं को बेचा जाना अवैध है । पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण) नियमावली की धारा 4ए प्रयोग हेतु पशुओं की बिक्री आदि को प्रतिबंधित करती है । यह कहती है कि किसी भी पशु नियंत्रण प्राधिकरण का कोई अधिकारी, कर्मचारी अथवा एजेंट अपने स्वामित्व में आने वाले किसी पशु की बिक्री, दिया जाना, अंतरण, व्यापार, आपूर्ति अथवा अन्यथा को किसी पशु डीलर, वाणिज्यिक आश्रय, पालतू पशुओं की दुकान, प्रयोगशाला, शैक्षणिक संस्थान अथवा अन्य किसी व्यक्ति को अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण, शिक्षा, जैवकीय उत्पादन या अन्य वैज्ञानिक, जैव-चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा प्रयोजन हेतु नहीं देगा । इसके अतिरिक्त, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी पशु नियंत्रण प्राधिकारी, वाणिज्यिक आश्रय, पालतू पशुओं की दुकान अथवा पशु डीलर से अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण, शिक्षा, जैवकीय उत्पादन अथवा अन्य वैज्ञानिक, जैव-चिकित्सा या पशु चिकित्सा प्रयोजन हेतु प्रजनन न किए गए किसी कुत्ते अथवा बिल्ली को क्रय करना प्रतिबंधित है ।

### वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

**प्रश्न 49. किस प्रकार के पक्षियों को रखा जाना वैध है ?**

**उत्तर 49 :** किसी भी भारतीय पक्षी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कानूनी रूप से नहीं रखा जा सकता है । केवल विदेशी प्रजातियों को ही रखा जा सकता है और वह भी तब जब विक्रेता/स्वामी यह सिद्ध कर दे कि वे विदेश से आई हैं । यह प्रमाणित करने के लिए विक्रेता के पास एक आयात लाइसेंस और साइटीस (CITES) ब्यूरो से अनुमति होनी चाहिए ।

साइटीस अथवा *यूनाइटेड नेशनस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीशिस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा* को अधिक दोहन से जंगली वनस्पति तथा जन्तु की दुर्लभ तथा संकटापन प्रजातियों की रक्षा करने के लिए 1975 में लागू

किया गया था । यह समझौता सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जंगल की प्रजातियों के आस्तित्व को खतरा उत्पन्न न हो ।

यह समझौता व्यापार द्वारा जोखिम वाली प्रजातियों के निर्यात पर कड़े विनियम भी मुहैया करवाता है ।

यहाँ तक कि अनुमेय पक्षी का रखा जाना भी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए जो यह निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पक्षी को ऐसे किसी पिंजड़े में रखता तथा कैद करता है जोकि पक्षी को चलने-फिरने का तर्कसंगत अवसर नहीं प्रदान करता है अथवा पक्षी को पर्याप्त भोजन, जल तथा आश्रय मुहैया नहीं करवाता है, वह उस पक्षी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने का दो-नी होगा । पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 के इन प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होना एक दण्डनीय अपराध है और दो-नी को गिरफ्तार तथा दण्डित किया जाएगा । इसलिए सही तथा सुरक्षित तरीका यही है कि पक्षियों को मुक्त रहने दिया जाए ।

**प्रश्न 50.** कानून में स्थानीय बाजार में जंगली पक्षियों को बेचे जाने के संबंध में क्या स्थिति है ?

**उत्तर 50 :** "जंगली पक्षी" शब्द का अर्थ एक ऐसा पक्षी है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की परिधि के अंतर्गत आता है जिसमें पक्षियों की लगभग 122 प्रजातियों को संरक्षण मुहैया करवाया गया है ।

डब्ल्यूपीए की धारा 9 जंगली पक्षियों के शिकार को प्रतिबंधित करती है । आम भा-ना में "शिकार" का अर्थ किसी पशु को खोजना, फंसाना तथा फिर उसकी हत्या कर देना होता है । परन्तु डब्ल्यूपीए के अंतर्गत "शिकार" में किसी जंगली पशु को पकड़ा और फंसाया जाना भी शामिल है । इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूपीए की धारा 57 एक कानूनी परिकल्पना को लेती है कि यदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व, अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में कोई बंदी पशु (जंगली पक्षियों सहित) है तो यह मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति के पास ऐसे बंदी पशु का कानूनी कब्जा नहीं है । इसलिए स्थानीय बाजार में किसी जंगली पशु को बेचने वाला कोई व्यक्ति "शिकार" के अपराध का दो-नी है और उसे 3 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है जिसका प्रावधान डब्ल्यूपीए की धारा 51 के अंतर्गत किया गया है ।

**प्रश्न 51.** क्या पुलिस के पास वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति है ?

**उत्तर 51 :** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50 निदेशक, अथवा मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या कोई वन अधिकारी या सब-इंस्पेक्टर से निचले दर्जे का न होने वाले किसी पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और यदि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास यह मानने के तर्कसंगत कारण होने की उस व्यक्ति ने डब्ल्यूपीए के अंतर्गत अपराध किया है तो उसे हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत करती है। डब्ल्यूपीए की धारा 51(1) यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम अथवा कोई नियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का दो-नी होगा और अभियोजन पर उसे 3 वर्ष की कैद अथवा 25 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

**प्रश्न 52.** अवैतनिक वन्यजीव वार्डन (एचडब्ल्यूडब्ल्यू) के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व क्या हैं ?

**उत्तर 52 :** अवैतनिक वन्यजीव वार्डनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा (ग) के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है और उन्हें लोक सेवक माना जाता है। किसी अवैतनिक वन्यजीव वार्डन का मुख्य कार्य तथा उत्तरदायित्व वन्यजीव संरक्षण हेतु उत्तरदायी सरकारी संगठन की पूर्ण रूप से सहायता करना होता है विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में -

(ए) जंगली पशुओं तथा उनके उत्पादों/वस्तुओं में अवैध शिकार और चोरी-छिपे व्यापार का नियंत्रण।

(बी) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपराधों का पता लगाना तथा अभियोजन।

(सी) वन्यजीव के प्रवास की क्षति को रोकना।

(डी) अभ्यारण्य, रा-ट्रीय पार्क, बंद क्षेत्रों आदि के रूप में घोषित किए जाने वाले उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान तथा चयन और साथ ही उनके उचित संरक्षण हेतु उपाय।

(ई) मुआवजे के आंकलन तथा भुगतान सहित जंगली पशुओं द्वारा जान तथा माल को हुई क्षति की समस्या से निपटने हेतु उपाय।

(एफ) संरक्षण के संदेश को लोगों तक पहुंचाना और प्रकृति तथा वन्यजीव संरक्षण हेतु जनता का समर्थन जुटाना । यह प्रयास घोषित वन्यजीव आरक्षितों में तथा उसके आस-पास रह रहे समुदायों की ओर विशेष रूप से होना चाहिए ।

(जी) वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित अन्य कोई मामला जिसे समय-समय पर वन्यजीव परामर्शी बोर्ड अथवा राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा सौंपा जाए ।

अपने कार्यों के साथ-साथ अवैतनिक वन्यजीव वार्डन के पास उन्हें उपयोगी तथा प्रभावी बनाए जाने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विशिष्ट शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । ये शक्तियां हैं -

(ए) अधिनियम की धारा 47(बी) के अंतर्गत लाइसेंस के रिकार्डों की जांच करने की शक्ति ।

(बी) अपराधों की रोकथाम तथा पता लगाने के लिए धारा 50 के अंतर्गत प्रवेश, तलाशी, जब्त करने तथा हिरासत में लिए जाने की शक्ति ।

(सी) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अनुसार अदालत में शिकायत करने की शक्ति ।

**प्रश्न 53. मदारी/कलन्दर से संबंधित कानून क्या हैं ?**

**उत्तर 53 :** भारत में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को जन प्रदर्शन हेतु किसी भी जंगली पशु को पकड़ने, लेने, खरीदने, बेचने, प्रशिक्षित करने अथवा प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है । मदारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पशु अर्थात् बन्दर, साँप, भालू, नेवले, मैना, सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 द्वारा संरक्षित हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है । पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की करतब दिखाने वाले पशु नियम की धारा 22 भी लागू होती है । चूंकि दोनों संज्ञेय अपराध हैं इसलिए मदारी को स्थल पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है और पशु को जब्त करके वन्यजीव विभाग अथवा चिड़ियाघर अथवा अन्य किसी स्थानीय पशु आश्रय को सौंपा जा सकता है । स्वस्थ साँप, नेवले, अथवा पक्षियों के मामले में उन्हें किसी जंगली क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए ।

**प्रश्न 54. क्या सरकार सहित कोई व्यक्ति अपने परिसर से बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों को रख सकता है ?**

**उत्तर 54 :** जी नहीं । यह अवैध है । लंगूर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें खरीदना, बेचना, उनका स्वामी होना अथवा उन्हें रखना अवैध है । यदि किसी मदारी को कोई संरक्षित प्रजाति का स्वामी होने की अनुमति नहीं है तो वह उस पशु का उपयोग अपने व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए नहीं कर सकता है और न ही सरकार किसी पशु के अवैध उपयोग को मान्यता दे सकती है । मदारी की सेवाओं को लेने वाले व्यक्ति को भी उसी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा जिनके अंतर्गत मदारी को गिरफ्तार किया जाएगा ।

\*\*\*\*\*